कार्यालय, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), सहारनपुर।

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

सन्दर्भ सं0– 898/अ0जि0-230/2022 दिनांक– 26.9.2022

To,

The Registrar
National Green Tribunal
Principal Bench
New Delhi.
E-mail : judicial-ngt@gov.in

Sub.- Compliance to the order issued on 25th August, 2022 by Hon'ble National Green Tribunal in Original Application No. 230/2022 Junaid Ayubi Vs. State of Uttar Pradesh And Ors.

Sir,

With reference to the subject mentioned above kindly find enclosed herewith the Joint Committee Report of the representative of District Magistrate and State PCB in compliance of the order issued on 25th August, 2022 by Hon'ble National Green Tribunal in Original Application No. 230/2022 Junaid Ayubi Vs. State of Uttar Pradesh And Ors.

Encl. : As above.

Yours faithfully,

(Rajneesh Kumar Mishr)
ADM (F/R), Saharanpur

Ref. No. and Date as above.

Copy to :

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. District Magistrate, Saharanpur, for information.

ADM (F/R)
Saharanpur

ANNEXURE I

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्याः H 71497 / सी–3 / नोडल स्टोन क्रेशर-163 / 22 दिनांकः 10 / 02 / 2022

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
....

विषयः प्रदेश में स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लाण्ट एवं पल्वराइजर इकाईयों के संबंध में बोर्ड की 80वीं बैठक में अनुमोदित एवं 83वीं बैठक में संशोधित गाइडलाइन्स के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक–06.01.2022 को सम्पन्न हुई 106वीं बैठक में कार्य सूची संख्या–106.22 में प्रस्तुत विषय "प्रदेश में स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लाण्ट एवं पल्वराइजर इकाईयों के संबंध में और अधिक प्रभावी कार्यवाही हेतु गाइड लाईन्स बनाये जाने संबंधी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया।

बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। साथ ही निर्देश दिये गये कि इस संबंध में वन विभाग की गाइड लाइन को भी संज्ञान में लिया जाये।

उक्त के अनुक्रम में दिनांक–06.01.2022 को सम्पन्न बोर्ड की 106वीं बैठक की कार्यसूची संख्या–106.22 पर बोर्ड के समक्ष "प्रदेश में स्टोन क्रेशर स्क्रिनिंग प्लाण्ट एवं पल्वराइजर इकाईयों के संबंध में बोर्ड की 83वीं बैठक में अनुमोदित गाईडलाइन में संशोधन" किया गया है।

उक्त के अनुक्रम में गाईडलाइन एवं उक्त के संशोधन की छायाप्रति संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

R. Tyagi
(आर.के. त्यागी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–3

प्रतिलिपिः
1. सदस्य सचिव, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को संलग्नक सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1, 2, 4, 5, 6, 7 को संलग्नक सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–3

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
ई–मेल : info@uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

कार्यसूची संख्या–106.22

विषय : प्रदेश में स्टोन क्रशर, स्क्रिनिंग प्लाण्ट एवं पल्वराइजर ईकाईयों के सम्बन्ध में बोर्ड की 80वीं बैठक में अनुमोदित एवं 83वीं बैठक में संशोधित गाइडलाइन को अधिक्रमित कर नवीन गाइडलाइन्स बनाये जाने संबंधी प्रस्ताव :–

उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाले एवं कार्यरत स्टोन क्रेशर, स्क्रिनिंग प्लाटं एवं पल्वराइजर ईकाईयों (जिसको कि आगे इकाई कहा गया है) के सम्बन्ध में बोर्ड की 80वीं बैठक में गाइडलाइन अनुमोदित की गयी थी, जिसको कि बोर्ड की 83वीं बैठक में संशोधित किया गया था। प्रदेश में वर्तमान में चल रहे निर्माण कार्यों एवं औद्योगीकरण के अनुक्रम में मा0 मंत्री ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 द्वारा मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 से इस आशय का अनुरोध किया गया है कि उ0प्र0 से सटे हुए अन्य राज्यों में स्टोन क्रेशर से सम्बन्धित एवं वर्तमान में प्रचलित गाइडलाइन के दृष्टिगत प्रदेश की गाइडलाइन को संशोधित किया जाए। स्टोन क्रेशर, स्क्रिनिंग प्लांट एवं पल्वराइजर ईकाईयों के संबंध में प्रचलित बोर्ड की गाईडलाइन वर्ष 2010 तदोपरान्त संशोधित गाईडलाइन वर्ष 2011 को सीमावर्ती राज्य यथा मध्य प्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान राज्य में प्रचलित स्टोन क्रेशर की गाईडलाइन के दृष्टिगत संशोधित किये जाने संबंधी सुकृत स्टोन क्रशर एसोसिएशन, जनपद–सोनभद्र के प्रत्यावेदन दिनांक–04.07.2020 एवं 10.07.2020 उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किया गया तथा मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रकरण में योजित रिट (सी) संख्या–14238/2020 सुकृत स्टोन क्रशर एसोसिएशन व अन्य बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में दिनांक–28.09.2020 को आदेश पारित किया गया, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैं:–

"…. The sole grievance of the petitioners is with regard to disposal of the representations dated 4th July, 2020 and 10th July, 2020 pending consideration before the Uttar Pradesh Pollution Control Board.

Having considered facts of the case, we deem it appropriate to dispose of this petition for writ by directing the Uttar Pradesh Pollution Control Board to examine and decide the representations submitted by the petitioners within a period of six weeks from today…."

इस संबंध में राज्य बोर्ड द्वारा गठित समिति की संस्तुति तथा उ.प्र. राज्य के लगभग समरूप भौगोलिक स्थिति वाले राज्य यथा–मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखण्ड व राजस्थान में स्टोन क्रेशर से संबंधित प्रभावी गाईडलाइन्स की विवेचना करने के उपरान्त बोर्ड की 80वीं बैठक में अनुमोदित एवं 83वीं बैठक में संशोधित स्टोन क्रेशर से संबंधित गाईडलाइन को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार नवीन मार्गदर्शिका प्रस्तावित की जा रही है :–

1. राष्ट्रीय/राज्य मार्ग की सड़क के मध्य से कम से कम 250 मीटर तथा अन्य मार्गों (मुख्य जिला मार्ग/अन्य जिला मार्ग) की सड़क के मध्य से कम से कम 100 मीटर दूर इकाई को स्थापित किया जाएगा।
2. आवादी/सार्वजनिक स्थल/शैक्षणिक संस्थान/अस्पताल/धार्मिक स्थल से न्यूनतम दूरी 500 मीटर रखी जाए। इकाई से 500 मीटर की त्रिज्या में स्थित न्यूनतम 20 पक्के अथवा कच्चे मकानों को ही आवादी माना जाएगा।
3. भारतीय रेल की भूमि सीमा से इकाई की दूरी कम से कम 150 मीटर रखी जाए।
4. इकाई की आम के बगीचे/मिश्रित फलों (आम और अन्य) बगीचों (जिसमें कम से कम 100 फलदार वृक्ष हों) संयुक्त नर्सरी के किनारे से दूरियां प्रत्येक दशा में 500 मीटर से कम नहीं होंगी। उल्लिखित दूरियां फल के प्रकार जिसका एकल अथवा सामूहिक क्षेत्रफल 2.5 एकड़ से कम न हो पर निरपेक्ष रूप से लागू होंगी।

5. स्टोन क्रशर की स्थापना हेतु इस गाइडलाइन के उपरोक्त क्रम संख्या–1, 2, 3 एवं 4 पर उल्लिखित तथ्यों की दूरियों के संबंध में राजस्व विभाग, उ.प्र. के संबंधित क्षेत्र के कम से कम तहसीलदार स्तर के अधिकारी द्वारा स्थल के भू–स्वामित्व के दृष्टिकोण से नक्शे का सत्यापन कराते हुए सर्वे, पैमाईश, वैज्ञानिक तरीकों (यथा जी.पी.एस./गूगल मानचित्र आदि विधियों) द्वारा दूरियों का सत्यापन क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर से कराया जाए तथा इस प्रकार सत्यापित प्रमाणिक दूरी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

6. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–I.A. No.- 1598-1600 in W.P.C 202 of 1995 में दिनांक – 04.08.2006 को पारित आदेश के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान एवं अन्य प्राणि विहार तथा वन क्षेत्र से 1.0 कि.मी. की दूरी को Safety Zone माना गया है व इस Safety Zone के अन्दर इकाई की स्थापना प्रतिबन्धित है। इस संबंध में वन विभाग द्वारा लगाया गया प्रतिबन्ध लागू होगा।

7. भारत सरकार के पत्र दिनांक–02.12.2009 द्वारा इको सेन्सिटिव जोन घोषित करने संबंधी गाइडलाइन अथवा उ.प्र. राज्य में या उ.प्र. राज्य से सटे राज्यों में वन क्षेत्र एवं अभ्यारण्य को इको सेन्सिटिव जोन घोषित किये जाने की दशा में तथा उक्त इको सेन्सिटिव जोन का कुछ हिस्सा उ.प्र. राज्य की सीमा में आता है तो राष्ट्रीय वन क्षेत्र एवं अभ्यारण्य के प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन इकाई द्वारा किया जाएगा।

8. इस गाइडलाइन के उपरोक्त क्रम संख्या–6 एवं 7 पर उल्लिखित तथ्यों की दूरियों के संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी से सर्वे, पैमाईश, वैज्ञानिक तरीकों (यथा जी.पी.एस./गूगल मानचित्र आदि विधियों) द्वारा दूरियों का सत्यापन करते हुए प्रमाणिक दूरी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे एवं वन विभाग के सुसंगत प्रतिबन्ध लागू होंगे।

9. इकाई नदी फ्लड जोन एरिया से कम से कम 500 मीटर दूर होना चाहिए, जिससे इकाईयों द्वारा खनिज अवैध रूप से प्राप्त कर अथवा अवैध खनन कर उपयोग किये जाने की संभावना न हो। इसका सत्यापन सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

10. इकाई में मुख्य प्लाण्ट एवं मशीनरी चार दीवारी से न्यूनतम 30 मीटर दूर स्थापित करना, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु नियमानुसार उपयुक्त व्यवस्था, कच्चे माल एवं उत्पाद के भण्डारण करने के लिये पर्याप्त भूमि की व्यवस्था आवश्यक होगी। प्लाण्ट को स्थापित करने के लिये न्यूनतम 1.0 हैक्टेयर भूमि आवश्यक होगी।

11. इकाई की स्थापना हेतु पर्यावरणीय दृष्टि से स्थापना हेतु सहमति (CTE) से पूर्व प्रस्तावित इकाई को कच्चे माल की उपलब्धता के संबंध में खनन विभाग के सक्षम अधिकारी से अनापत्ति/क्लीयरेन्स प्राप्त कर, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12. धूल के कणों का उत्सर्जन रोकने की विधि (Dust Extractors) या धूल के कणों को हवा में उड़ने से रोक की विधि (Water Sprinklers) एवं यथासम्भव कवर्ड करने की व्यवस्था इकाई द्वारा की जाएगी।

13. इकाई के अंदर के सभी मार्ग पक्के (Metalled/Cement Concrete) करने होंगे।

14. इकाई की सीमा के अंदर सम्पूर्ण क्षेत्र में धूल को हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव किये जाने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे धूल के कण हवा में न उड़ सकें।

15. इकाई के चारों तरफ कम से कम 33 प्रतिशत भू–भाग पर धूल कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ की हरित पट्टी का विकास कर उसको संरक्षित करना होगा एवं इसके संबंध में लेआउट प्लान बोर्ड में जमा करना होगा तथा हरित पट्टिका का विकास करने की कार्यवाही स्थापनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त 6 माह में पूरी करनी होगी।

16. धूल एवं ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण में उपयोग होने वाली विधियों एवं उपकरण इकाई मालिक द्वारा अपने स्वयं के खर्चे पर स्थापित करने होंगे। धूल एवं ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण विधियों को इकाई में अनवरत कार्यरत रखने की जिम्मेदारी इकाई स्वामी की होगी।

17. ऐसे स्टोन क्रशर इकाईयॉं, जो कि नवीन गाइडलाइन के लागू होने के उपरान्त स्थापित की जायेंगी, उनके द्वारा उद्योग परिसर के चारों ओर लघु श्रेणी के स्टोन क्रशर ईकाईयो हेतू न्यूनतम 5 मीटर ऊंची तथा मध्यम एवं वृहद श्रेणी की स्टोन क्रशर ईकाईयों हेतु न्यूनतग 6 मीटर ऊंची विन्ड ब्रेकिंगवाल का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा। विण्ड ब्रेकिंग वाल सबसे ऊंची कन्वेयर बेल्ट से न्यूनतम 1 मीटर ऊंची होगी। विण्ड ब्रेकिंग वाल के रूप में जी.आई.शीट/अन्य बैरिकेटिंग व्यवस्था के साथ नटबोल्ट से टाइट न्यूनतम 08 एम.एम. मोटी टीन की चादर ही मान्य होगी।

18. किसी भी स्थान पर भण्डारित पदार्थ (कच्चा माल/उत्पादित माल) की अधिकतम ऊंचाई विण्ड ब्रेकिंग वाल की ऊंचाई से 1.5 मीटर कम रखा जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

19. इस गाईडलाइन के लागू होने के पूर्व से स्थापित इकाई जिसे विगत वर्षों में राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ अथवा संचालनार्थ सहमति प्राप्त थी, परन्तु वह इस गाईडलाइन के अनुसार मानकों के अनुरूप न हो, उसे मानक के अनुरूप स्थल पर स्थानान्तरण (शिफ्ट) किये जाने हेतु अधिकतम 2 वर्ष की छूट रहेगी।

परन्तु ऐसी इकाई जो इस गाईडलाइन के अनुरूप नहीं है एवं उसे विगत वर्षो में राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ अथवा संचालनार्थ सहमति प्राप्त नहीं थी को तत्काल प्रभाव से बन्द कराया जाएगा।

नोटः– इस गाईडलाइन में वर्णित दूरियों का आंकलन एरियल डिस्टेन्स द्वारा किया जाएगा।

अतएव बोर्ड से समक्ष प्रस्ताव है कि–

प्रदेश में वर्तमान में चल रहे निर्माण कार्यों एवं औद्योगिकीकरण की गति को बनाये रखने के दृष्टिगत पर्यावरणीय दृष्टि से संतुलित विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से प्रदेश में स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लाण्ट एवं पल्वराइजर ईकाईयों हेतु बोर्ड की 80वीं बैठक में अनुमोदित तथा 83वीं बैठक में संशोधित गाईडलाइन को अधिक्रमित करने एवं नवीन गाईडलाइन लागू किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

—oo—

ANNEXURE-2

898

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड,
सहारनपुर।

प्रेषित,

अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व),
सहारनपुर।

पत्रांकः 1420 /सिनिखस/ /दिनाँकः 16 –09–2022

विषयः **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–230/2022 जुनैद अय्यूबी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, में दिनांक 25.08.2022 को पारित आदेशों के अनुपालन में तथ्यात्मक आख्या प्रेषण करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कार्यालय जिलाधिकारी सहारनपुर के पत्रांक 794/एन0जी0टी0–125/2022, दिनांक 07.09.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है। विषयांकित प्रकरण पर बिन्दु संख्या–7 से 9 तक तथ्यात्मक आख्या तैयार कर आपको प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः बिन्दु संख्या–7 से 9 तक निम्न तालिकानुसार आख्या निम्नवत् प्रेषित हैः–

बिन्दु संख्या	उल्लेखित अंश	आख्या
7	"We have also gone through the letter dated 04.06.2022 sent by an Executive Engineer, Irrigation Construction Region, Saharanpur starting that the Akash Ganga Stone Crusher in situated at more than 500 mts. From the flood plain zone of Yamuna river and but details as to on what basis the said distance computed, has not been given",	फ्लड प्लेन जोन से आकाश गंगा स्टोन क्रेशर की दूरी का निर्धारण अब तक के **सर्वाधिक डिस्चार्ज 8,28,072 क्यूसैक** एवं वर्तमान की भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर की गयी है।
8	"In these facts and circumstances, we find that clarification needs to be obtained from the concerned authorities. Let joint Committee submits its comments to the objections raised by the applicant to joint Committee report with regard to the measurement of distance of the situation of the stone crusher and also the basis on which the distance has been measured."	उक्त बिन्दु पर ज्वांइट कमेटी की रिपोर्ट प्रेषित की जानी अपेक्षित है, जिस पर इस कार्यालय से सम्बन्धित रिपोर्ट बिन्दु संख्या–9 में दर्शायी गयी है। अतः उक्त हेतु बिन्दु संख्या–9 की आख्या सम्मिलित किया जायें।

क्रमशः.....2पर

9	"The Executive Engineer, Irrigation Department concerned may also submit detailed report to show as to in what manner and basis distance has been measured."	प्रत्येक वर्ष, बाढ़काल (15 जून से 15 अक्टूबर तक) के दौरान सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा यमुना नदी में प्रवाहित होने वाले डिस्चार्ज व बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यो की सतत् निगरानी रखी जाती है। यमुना नदी में वर्ष 2019 में दिनांक 18.08.2019 को अब तक का **सर्वाधिक डिस्चार्ज 8,28,072 क्यूसैक** हथनीकुण्ड बैराज से प्रवाहित हुआ है। जिसके क्रम में स्टोन क्रेशर की फ्लड जोन से दूरी का आंकलन किया गया है। प्रश्नगत स्थल (स्टोन क्रेशर के निकट नदी एवं तटीय क्षेत्र) पर वर्ष 2019 में प्रवाहित जल (सर्वाधिक डिस्चार्ज) के सापेक्ष जल स्तर की गणना हेतु दो स्थलों का चयन किया गया। प्रथम, हथनीकुण्ड के डाउन स्ट्रीम व प्रश्नगत स्थल के अपस्ट्रीम में ग्राम छज्जा के निकट विभाग द्वारा पूर्व निर्मित संरचनाऐं जिसकी दूरी प्रश्नगत स्थल से लगभग 4.00 किमी0 है एवं द्वितीय, प्रश्नगत स्थल के डाउन स्ट्रीम में ग्राम धौलरा के निकट निर्मित बाढ़ सुरक्षात्मक संरचनाऐं जिसकी दूरी प्रश्नगत स्थल से लगभग 8.50 किमी0 है। उक्त दोनों स्थलों पर Observed High Flood Level व Low Water Level (LWL) का अन्तर 7.10 मी0 एवं 2.14 मी0 क्रमशः था। तदानुसार सम्बन्धित स्थल के निकट यमुना नदी पर interpolation द्वारा HFL व LWL का अन्तर गणना अनुसार 5.52 मी0 रहा। सम्बन्धित स्थल पर नदी के LWL से Ground Level की ऊंचाई मापी गयी जो कि लगभग 6.00 मी0 थी। इस सम्बन्ध में पुष्टि हेतु स्थानीय लोगों से भी वर्ष 2019 में आये सर्वाधिक जल स्तर की पूछताछ की गयी। उनके द्वारा भी बताया गया कि जलस्तर बैंक के आसपास तक ही सीमित था। तत्पश्चात क्रेशर से नदी की ओर 500 मी0 की मापी कर बिन्दु स्थापित किया गया। यह बिन्दु गणना एवं स्थानीय पूछताछ द्वारा प्राप्त बिन्दु से दूर था। इसी आधार पर स्टोन क्रेशर की डग से फ्लड जोन की दूरी 500 मी0 से अधिक दूरी की रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड,
सहारनपुर।

पत्रांकः /सिनिखस/तदिनाँकः

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, सहारनपुर को उनके पत्रांक 794/एन0जी0टी0–125/2022, दिनांक 07.09.2022 के सन्दर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड,
सहारनपुर।